



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jda@jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291 261208/2656357 Fax 021 2612086

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2023/ 3494

दिनांक :: 23/01/2023

संशोधित-आदेश

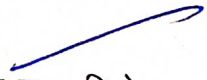
1	बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 06.12.2022 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या 23 आवेदक श्रीमती सजुडी पत्नी श्री ढगलाराम राजस्व ग्राम दांतीवाडा के खसरा संख्या 426/4 रकबा 03.03.08 बीघा जोन-1 का एक ले-आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक के दिनांक 06.12.2022 को जारी बैठक कार्यवाही विवरण में बिन्दु संख्या 2 में उक्त सड़क की चौड़ाई 60 फीट किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त योजना के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 426/1 का ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 27.07.2022 को उक्त सड़क मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुए अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में दिनांक 06.12.2022 को हुई बैठक के एजेण्डा संख्या 23 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 02 को निम्नानुसार पढ़ा व समझा जावेँ "आवेदित भूमि के पीछे स्थित राजस्व मार्ग का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावेँ एवं सड़क मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि को सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित करवाया जावेँ।" इस संशोधित आदेश को बैठक कार्यवाही-विवरण का अंगशुमार माना जावेँ।
---	--


 उप नगर नियोजक
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर
 दिनांक ::

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2023/

प्रतिलिपी :- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, (आयुक्त महोदय,) जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, (सचिव महोदय,) जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (जोन-1), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित आदेश को जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।


 उप नगर नियोजक
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर